रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 2457]
 नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 2013/कार्तिक 1, 1935

 No. 2457]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2013/KARTIKA 1, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3221(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 190 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

4489 GI/2013

(1)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)	(2)	(3)	(4)
"190	61	रारा-160 भिवंडी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मुरबाद, एली, अहमदनगर, शेवगांव, गेवराई, माजलगांव, परभनी, मालेगांव, अरधापुर, बराड फाटा, भोकर को	222"
		जोड़ते हुए कल्याण के निकट महाराष्ट्र राज्य में और आंध्र प्रदेश राज्य में निर्मल के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	

[फा.सं. एनएच-14019/4/2007-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या

का. आ. 2517 (अ), तारीख 21.08.2013 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2013

S.O. 3221(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule to said notification, for serial number 190 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"190	61	The highway starting from its junction with NH-160 Bhiwandi	222 ".
		near Kalyan connecting Murbad, Ale, Ahmadnagar, Shevgaon,	
		Gevrai, Majalgaon, Parbhani, Malegoan, Ardhapur, Barad	
		Phata, Bhokar in the State of Maharashtra and terminating at	
		its junction with NH-44 near Nirmal in the State of Andhra	
		Pradesh	

[F. No. NH-14019/4/2007-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy. **Note:-** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180, dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011 and last amended *vide* number S.O. 2517(E), dated the 21st August 2013.

3